136 परिवारों को मिले घर और जमीन : योगी

योगी ने बांटे आवास-पट्टे, बिना भेदभाव सबका पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता

लखनऊ/बहराइच, 25 मार्च। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के मिहिरपुरवा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और आवास हेतु भूमि के पट्टों का वितरण किया.

इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए धनराशि डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बहराइच की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए इसे सुहेलदेव के शौर्य की

धरती बताया। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव का पराक्रम आज भी समाज को प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा उपेक्षित रहे करीब 500 परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

पुनर्वास योजना में दलित समेत विभिन्न वर्गों के लोग शामिल

योगी ने कहा कि सरकार जाति, पंथ या संप्रदाय के आधार पर नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद को परिवार का हिस्सा मानकर योजनाओं का लाभ दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पुनर्वास योजना में दलित, पिछड़े, जनजातीय समुदाय समेत विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब थी और जातिवाद के आधार पर समाज को बांटने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में माफिया, गुंडागर्दी और दंगों का माहौल रहता था, जिससे विकास बाधित होता था। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है और सभी त्योहार शांति व सौहार्द के साथ मनाए जा रहे हैं। नवरात्रि और आगामी रामनवमी के आयोजन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर परिवार को सुरक्षित आवास, मूलभूत सुविधाएं और बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने भविष्य को सशक्त बना सकें.

अमेरिका के कैलिफोर्निया में डीजल की कीमतें पहुंची नई ऊंचाई पर

कैलिफोर्निया, 25 मार्च. अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन (एएए) के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका के कैलिफोर्निया में डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं. कैलिफोर्निया में डीजल की औसत कीमत मंगलवार को 7.018 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई, जो एएए के डेटाबेस में दर्ज सबसे ऊंचा स्तर है. इसकी तुलना में, डीजल की मौजूदा यूएस नेशनल औसत कीमत लगभग 5.345 डॉलर प्रति गैलन है. रिपोर्ट्स ने डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह तेल-रिफाइनिंग कैपेसिटी में कमी और ईरान में युद्ध के बीच ग्लोबल एनर्जी शिपमेंट में रुकावट को बताया.

घरेलू पीएनजी कनेक्शन बड़ी प्राथमिकता

▶ अंतर-मंत्रालयीन ब्रीफिंग में संयुक्त सचिव ने दी जानकारी

नई दिल्ली, 25 मार्च. पेट्रोलियम मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार पाइप वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) को प्राथमिकता दे रही है. मंत्रालय ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू पीएनजी कनेक्शन भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और

इनकी 100 प्रतिशत सप्लाई की जा रही है. इसी तरह, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली सीएनजी भी 100 प्रतिशत कंज्यूमर्स को उपलब्ध कराई जा रही है. कई कंपनियों ने कई इंसेंटिव्स की घोषणा की है, जैसे 500 तक की फ्री गैस या सिक्योरिटी डिपॉजिट में छूट. राज्य सरकारों को भी लिखा गया है, उन्हें 10 प्रतिशत कमर्शियल गैस और एक्स्ट्रा एलपीजी देने का ऑफर दिया गया है.

दिल्ली में यात्री बस पलटने से दो लोगों की मौत, 23 घायल

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी के करोल बाग स्थित हनुमान मंदिर के पास मंगलवार देर रात एक स्लीपर पर्यटक बस के पलट जाने से दो यात्रियों की मौत हो गयी एवं 23 घायल हो गए. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रात एक बजकर पांच मिनट पर हुए इस हादसे में जयपुर-दिल्लीमार्ग की इस बस में करीब 30 यात्री सवार थे. बस पलटने से कई यात्री अंदर ही फंस गए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करोल बाग पुलिस स्टेशन की एक टीम को मौके पर भेजा. टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से एक जेसीबी मशीन का इस्तेमाल कर बस को सीधा किया.

केवाईसी सख्ती से 20 लाख कनेक्शन निष्क्रिय

▶ लखनऊ में 1.10 लाख लोग हुए प्रभावित

लखनऊ , 25 मार्च . पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते वैश्विक ऊर्जा बाजार में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच तेल कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में एलपीजी वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है.

केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिसके चलते लखनऊ में 1.10 लाख से अधिक और पूरे प्रदेश में करीब 20 लाख एलपीजी कनेक्शन अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिए गए हैं. प्रदेश में कुल लगभग 4.87 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं.

गैस कंपनियों के अधिकारी ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर रहे हैं, जिन्होंने नौ महीने या उससे अधिक समय से सिलेंडर बुक नहीं कराया. अधिकारियों के अनुसार, कई मामलों में उपभोक्ताओं ने पाइप्ड नैचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन ले लिया है या पता बदल लिया है, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सब्सिडी और गैस की आपूर्ति वास्तविक उपभोक्ताओं तक ही पहुंचे. तेल कंपनियों ने ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित कर उनका कनेक्शन अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. अब कनेक्शन को पुनः सक्रिय करने के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है. इस प्रक्रिया के चलते लखनऊ की गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ बढ़ गई है, जहां बड़ी संख्या में लोग अपने दस्तावेज अपडेट कराने पहुंच रहे हैं. आलमबाग निवासी आनंद चतुर्वेदी को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ा.

शहर की प्रत्येक गैस एजेंसी में 1200 से 1500 तक निष्क्रिय कनेक्शन

सिलेंडर बुक न होने पर उन्हें पता चला कि उनका कनेक्शन निष्क्रिय हो चुका है और अब दोबारा केवाईसी कराना जरूरी है, क्योंकि कनेक्शन उनके दिवंगत पिता के नाम पर था. शहर की प्रत्येक गैस एजेंसी में 1200 से 1500 तक निष्क्रिय कनेक्शन हैं. हालांकि एजेंसी संचालकों का कहना है कि यह प्रक्रिया सिस्टम में मौजूद अनियमित और निष्क्रिय कनेक्शनों को हटाने में मदद कर रही है. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि सब्सिडी और गैस आपूर्ति सही उपभोक्ताओं तक पहुंचे.

आज का इतिहास

1552 - गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु बने.

1813 - पटियाला रियासत के महाराजा एवं महाराजा अमर सिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी महाराजा साहिब सिंह का निधन.

1893 - बंगाली सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक धीरेन्द्र नाथ गांगुली का जन्म.

1907 - हिन्दी कवयित्री और हिन्दी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा का जन्म.

1953 - डॉ. जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की घोषणा की.

एशिया में भारत की भूमिका पर अमेरिका का भरोसा

▶ वैश्विक समीकरणों के बीच भारत की भूमिका मजबूत

▶ समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दे पर हुई बातचीत

नई दिल्ली, 25 मार्च. भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में बुधवार को एक अहम बैठक हुई, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी एलब्रिज कोल्बी से मुलाकात की.

इस दौरान दोनों नेताओं ने मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय भू-राजनीतिक हालात पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे सार्थक संवाद बताते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच वैश्विक चुनौतियों और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर खुलकर विचार-

विमर्श हुआ। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन, समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दे तेजी से अहम होते जा रहे हैं.

अमेरिकी पक्ष ने भी भारत को इस क्षेत्र में एक केंद्रीय और अनिवार्य साझेदार बताया, जिससे साफ है कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है.

यह मुलाकात दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और रणनीतिक सहयोग को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग को नई मजबूती देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी एलब्रिज कोल्बी के बीच बुधवार को नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। इस बैठक में दोनों पक्षों ने मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों, खासकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बदलते समीकरणों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के बाद जयशंकर ने इसे सार्थक और उपयोगी संवाद बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्राथमिकताओं और वैश्विक चुनौतियों पर गहन विचार-विमर्श हुआ. यह संवाद ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया कई जटिल संकटों से जूझ रही है.

आतंकवादी संगठन के सदस्यों की सजा पर पाक को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं

नयी दिल्ली 25 मार्च. भारत ने न्यायालय की ओर से दोषी साबित किए गए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के सदस्यों के बारे में पाक के बयान को सिरे से खारिज करते हुए जोर देकर कहा है कि भारतीय न्यायिक प्रक्रियाओं पर टिप्पणी करने का पाक को कोई अधिकार नहीं है। पाक ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के सदस्यों को भारतीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने की निंदा करते हुए इस पर सवाल उठाया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में बुधवार को कहा कि हम पाकिस्तान द्वारा एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन और उसके सदस्यों के समर्थन में जारी किए गए बयान को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं. भारत के आंतरिक मामलों या उसकी न्यायिक प्रक्रियाओं पर टिप्पणी करने का पाक को कोई अधिकार नहीं है।

गुजरात में बदलाव चाहती है जनता

अमरेली, 25 मार्च. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के अमरेली में आयोजित 'विजय विश्वास सभा' में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा के कुशासन से परेशान राज्य की जनता अब आम आदमी पार्टी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि गुजरात में बदलाव की लहर शुरू हो चुकी है और लोग एक नए विकल्प की तलाश में हैं। उन्होंने कहा कि आप ईमानदार राजनीति, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के जरिए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तैयार है। केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि वे राज्य में बदलाव लाने के लिए आप का समर्थन करें। सभा में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को उन्होंने जनता के बढ़ते समर्थन का संकेत बताया.

क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन

लोक सुनवाई की संशोधित आम सूचना

सर्वसबंधितो को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत M/s Smt. Vibha Agrawal W/o Shri Nitin Agrawal, Narayangarh Murram & Stone (Gitti & M - Sand) Quarry, Mining of minerals, Capacity: 5,000 M3/Year Stone (Giiti), 9,000 M3/Year M-sand & 3,000 M3/Year Murrum, Area 2.0 Hect., Khasra No. 538/1/2 (Govt. Land) Village Narayangarh, Tehsil Malhargarh District Mandsaur (M.P.) के लिए भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के अनुक्रम में लोक सुनवाई कराने हेतु दिनांक 27.01.2026 को समय दोपहर 03:00 बजे से स्थान-आवेदित क्षेत्र, नारायणगढ, तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.) सर्वे क्रमांक-538/1/2 में निर्धारित की गई थी, जिसका समाचार पत्रों में क्रमशः प्रकाशन नवभारत समाचार पत्र एवं दैनिक दशपुर दर्शन में दिनांक 16.12.2025 को किया गया था। किन्तु दिनांक 29.01.2026 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जिला मंदसौर में प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम होने के कारण उक्त लोक सुनवाई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मंदसौर के पत्र कं. 106 दिनांक 03.02.2026 को निरस्त की गई थी। अतः पुनः उक्त लोक सुनवाई, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र कं. 377 दिनांक 24.03.2026 के माध्यम से दिनांक 28.04.2026 को दोपहर 01:00 बजे से स्थान -आवेदित क्षेत्र, नारायणगढ, तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.) सर्वे क्रमांक - 538/1/2 में निर्धारित की गई है, शेष जानकारी दिनांक 16.12.2025 के समाचार पत्र में उल्लेखानुसार ही है।

(क्षेत्रीय अधिकारी)
उज्जैन

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (डॉ. रिंकेश कुमार वैश्य), जिला इंदौर (म.प्र.)

(प्रशासनिक संकुल कक्ष क्र.-जी 11)

क्रमांक/1371/अकरी/2026 इंदौर दिनांक- 18/03/2026

प्रकरण क्र./0558/ब-121/2025-26

पेपर विज्ञप्ति

प्रति,

1. मेसर्स भारती स्टील ट्रेडिंग कंपनी

पता: 21, स्टेशन रोड, छोटी ग्वालटोली, इंदौर, मध्य प्रदेश मोबाइल नंबर 9826023465

2. श्री विजय भट्ट पिता भेरूलाल भट्ट, पताः प्लॉट क्रमांक 91, स्कीम-78, अरण्य सेक्टर-ए टाइप एल-3, स्लाइस 5, लोहा मंडी के पास, इंदौर

3. श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा पिता माधवराम शर्मा, पताः प्लॉट क्रमांक 67, स्कीम-78, अरण्य सेक्टर-सी टाइप एल-1, स्लाइस 1 मंडी के पास, इंदौर, म.प्र.

द्वारा :- पेपर प्रकाशन।

--00--

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक हाउस सेनापति बापट मार्ग लोअर परेल, मुंबई, शाखा कार्यालयः एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पीएसपी स्कीम नंबर: 94, सेक्टर बी, रिंग रोड, बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452010 द्वारा निवेदन किया गया हैं कि **बंधक संपत्ति - 1,** आवासीय संपत्ति, भूखण्ड संख्या 67/ एल-3/ए /एस-5, योजना संख्या 78, अरण्य, सेक्टर-ए, इंदौर व **संपत्ति-2,** आवासीय संपत्ति, भूखण्ड संख्या 91 / एल - 1 / सी / एस-1, योजना संख्या 78, अरण्य,सेक्टर-सी, इंदौर पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूमि संपत्ति का कब्जा ही सौंपा गया हैं। अत: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं और प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूमि के रूप में रखी संपत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अत: इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता हैं कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर जिला इंदौर **कक्ष क्रमांक जी-11 में दिनांक 26/03/2026 को दोपहर 03:00** बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला इंदौर (म.प्र.)

रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड

ROHA HOUSING FINANCE — GROW WITH YOUR OWN HOME

कॉर्पोरेट ऑफिस : युनिट नं. 1117 एवं 1118, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201 301.

भोपाल शाखा: 'एफएफ-14बी, दूसरी मंजिल, मानसरोवर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल 462016 (म.प्र.)
प्राधिकृत अधिकारी : रत्नेश कुमार मिश्रा - 7024122890, संदीप सोनी - 8819999203

उज्जैन शाखा: 301, 302, तीसरी मंजिल, पाटीदार टॉवर, वरुचि मार्ग, शहीद पार्क के पास, फ्रीगंज, उज्जैन - 456010 (म.प्र.)
प्राधिकृत अधिकारी : रवि बघेल - 9907777747, संदीप सोनी - 8819999203

नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

सिक्युटराईजेशन एण्ड रिकन्सटक्शन ऑफ फायनेंशियल असेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्रायवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋण की ओर बकाया धनराशि की वसूली हेतु निम्न वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का आधिपत्य लेने के अनुक्रम में, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अचल सम्पत्ति, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है, जो कि भौतिक आधिपत्य में है, के **''जहाँ है, जैसी है और जो है''** के आधार पर क्रय हेतु सीलबंध लिफाफों में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो)/ जमानतदार (लोन नं. / शाखा)	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)
1	**LAN:** HLSONKMBPR000005016866 / **शाखा:** सोनकच्छ **1. श्री भगवान सिंह,** **2. श्रीमती मोयम बाई पति भगवान सिंह** **दोनों का पता:** ग्राम बडोदिया इंदौर, तहसील गुलाना गोयला, मध्य प्रदेश - 465223	12-09-2025 & ₹ 6,00,016/-	प्लाट नं. 235 के समस्त भाग एवं अंश, प.ह.नं. 96, सर्वे नं. 235, ग्राम बड़ोदिया इन्दौर, तहसील पोलाय कलां, शाजापुर म.प्र. - 465113	₹ 11,48,850/-	₹ 1,14,885/-
2	**LAN:** HLUJNCSCON000005014277 / **शाखा:** उज्जैन सर्विस **1. श्री देवीसिंह पिता शंकरलाल,** **2. श्रीमती रामकुंवर बाई पति देवी सिंह,** **3. श्री धन कुंवर शक्तावत** **सभी का पता:** ग्राम कंवलीखेड़ा, तराना, तराना, मध्य प्रदेश - 456665	15-04-2025 & ₹ 6,13,322/-	प्लाट नं. 78 के समस्त भाग एवं अंश, प.ह.नं. 83, खसरा नं. 303/2, ग्राम कंवलीखेड़ा, तहसील तराना, उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456550	₹ 12,99,750/-	₹ 1,29,975/-
3	**LAN:** HLUJNCSCRE000005016136 / **शाखा:** उज्जैन सर्विस **1. श्री गंगाराम पिता भंवर सिंह,** **2. श्रीमती प्रकाश बाई गुर्जर,** **3. श्री भंवर गुर्जर** **सभी का पता:** 109, ग्राम मेरखेड़ी, टोंकखुर्द, देवास, मध्य प्रदेश - 455116	11-06-2025 & ₹ 6,23,761/-	सर्वे नं. 100/1 के भाग के समस्त भाग एवं अंश, प.ह.नं. 13, ग्राम मेरखेड़ी, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्य प्रदेश - 455116	₹ 12,00,000/-	₹ 1,20,000/-
4	**LAN:** HLUJNCMBPR000005014359 / **शाखा:** उज्जैन सर्विस **1. श्री घनश्याम मोगिया, 2. श्रीमती पद्मावती बाई मोगिया** **3. श्री मांगीलाल मोगिया** **सभी का पता:** मकान नं. 190, वार्ड नंबर 20, कसारी हरोड़, कसारी चौहान, तहसील ताल, कसारी, रतलाम, म.प्र. - 457114	12-03-2025 & ₹ 6,87,500/-	खसरा नं. 286/1/1/3 के समस्त भाग एवं अंश, प.ह.नं. 40, कसारी हरोड़, रतलाम, मध्य प्रदेश - 457114	₹ 13,75,000/-	₹ 1,37,500/-
5	**LAN:** HLUJNCHLRS000005013646 / **शाखा:** उज्जैन सर्विस **1. श्री ज्ञान सिंह गुर्जर,** **2. श्रीमती विष्णु पति ज्ञान सिंह** **दोनों का पता:** मकान नंबर 122, वार्ड - 6, देवास, मध्य प्रदेश - 455116	15-04-2025 & ₹ 8,39,351/-	प्लाट नं. 122 के समस्त भाग एवं अंश, ग्राम सेडू, प.ह.नं. 46, तहसील टोंकखुर्द, देवास, म.प्र. - 455116	₹ 20,95,600/-	₹ 2,09,560/-
6	**LAN:** HLUJNCSCRE000005005507 / **शाखा:** उज्जैन सर्विस **1. श्री कालेसिंह पिता विक्रम सिंह,** **2. श्रीमती तरुणा बाई पति काले सिंह,** **3. श्री बाबू सिंह** **दोनों का पता:** मकान नंबर 23, ग्राम कुंडलीखेड़ा, तहसील-महिदपुर, महिदपुर, मध्य प्रदेश - 456441	11-08-2025 & ₹ 2,69,177/-	प्लाट नं. 10 के समस्त भाग एवं अंश, भूमि सर्वे नं. 452 का भाग, प.ह.नं. 45, ग्राम कुंडलीखेड़ा, तहसील महिदपुर (झरड़ा), मध्य प्रदेश - 456441	₹ 3,59,100/-	₹ 35,910/-
7	**LAN:** HLUJNCSCON000005014280 / **शाखा:** उज्जैन सर्विस **1. श्री कान सिंह,** **2. श्रीमती गट्टूबाई पति सुरे सिंह** **दोनों का पता:** ग्राम भदवा रान्यारापीर, तहसील घटिया, महिदपुर, मध्य प्रदेश - 456441	11-08-2025 & ₹ 4,23,308/-	भूमि सर्वे नं. 376/1/1/1/1 के समस्त भाग एवं अंश, प.ह.नं. 28, ग्राम भदवा, महिदपुर, मध्य प्रदेश - 456441	₹ 7,98,100/-	₹ 79,810/-
8	**LAN:** HLSONKHLRS000005013149 / **शाखा:** सोनकच्छ **1. श्री काशीराम मालवीय,** **2. श्रीमती कुंता बाई मालवीय** **दोनों का पता:** म.नं. 24, वार्ड नंबर 06, रसुलदिया कुल्मी, तहसील टोंकखुर्द, देवास, म.प्र. - 455116	14-07-2025 & ₹ 7,04,145/-	प्लाट नं. 152 के समस्त भाग एवं अंश, प.ह.नं. 05, ग्राम लसुड़िया कुल्मी, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास, म.प्र. - 455116	₹ 14,42,000/-	₹ 1,44,200/-
9	**LAN:** LAUJNCLARD000005013004 / **शाखा:** उज्जैन सर्विस **1. श्री कुलदीप सिंह डोडिया,** **2. श्री जालमसिंह पिता फतेहसिंह,** **3. श्रीमती हेमलता कुंवर,** **4. श्री फतेह सिंह राजपूत** **दोनों का पता:** ग्राम खरवा कला, तहसील ताल, जिला रतलाम, रतलाम, मध्य प्रदेश - 457114	14-10-2025 & ₹ 7,21,772/-	प्लाट नं. 239/1 के समस्त भाग एवं अंश, प.ह.नं. 36, ग्राम खरवा कला, तहसील ताल, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश - 457114	₹ 12,09,500/-	₹ 1,20,950/-
10	**LAN:** HLSONKSCON000005014457 / **शाखा:** सोनकच्छ **1. श्री लाड सिंह,** **2. श्रीमती कृष्णा बाई पति लाड सिंह** **दोनों का पता:** मकान नंबर 24, ग्राम बडोदिया, इंदौर पोस्ट डेंडला, मध्य प्रदेश - 465110	14-07-2025 & ₹ 5,55,342/-	भूमि सर्वे नं. 234 के भाग के समस्त भाग एवं अंश, प.ह.नं. 37, ग्राम एवं ग्राम पंचायत बड़ोदिया इन्दौर, तहसील पोलाय कला, शाजापुर, म.प्र. - 465113	₹ 7,32,000/-	₹ 73,200/-
11	**LAN:** HLSONKHLRS000005012188 / **शाखा:** सोनकच्छ **1. श्री लखन सिंह बगड़िया** **2. श्रीमती लीला बाई बगड़िया** **दोनों का पता:** म.नं. 16के, ग्राम अमलाताज, पोस्ट अमलाताज, तह. हाटपीपल्या, देवास, म.प्र.-455227	15-05-2025 & ₹ 6,30,126/-	सर्वे नं. 721 के समस्त भाग एवं अंश, प.ह.नं. 18, मकान नं. 16, ग्राम अमलाताज, तहसील हाटपीपल्या, जिला देवास, म.प्र.- 455227	₹ 8,24,200/-	₹ 82,420/-
12	**LAN:** HLUJNCHLRS000005014505 / **शाखा:** उज्जैन सर्विस **1. श्री मुकेश पिता रघुवीर,** **2. श्रीमती राधा बाई पति मुकेश** **दोनों का पता:** मकान नंबर 7, मजरा देवीपुरा भीलखेड़ा, ग्राम भीलखेड़ा, उज्जैन, म.प्र. - 456006	14-07-2025 & ₹ 7,50,000/-	प्लाट नं. 07 के समस्त भाग एवं अंश, प.ह.नं. 12, ग्राम भीलखेड़ा, उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456006	₹ 11,90,000/-	₹ 1,19,000/-
13	**LAN:** HLSONKSCRE000005008475 / **शाखा:** सोनकच्छ **1. श्री राहुल सिंह, 2. श्रीमती सोना राजपूत** **दोनों का पता:** मकान नंबर 139, वार्ड नंबर 03, शीतला माता मंदिर के पास, लोंडिया, लोंडियाजागीर, कांखजुरिया, देवास, म.प्र. - 455118	15-05-2025 & ₹ 5,71,224/-	मकान नं. 24 के समस्त भाग एवं अंश, प.ह.नं. 29, (सरल नं. 2239), ग्राम लोंदिया, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश - 455118	₹ 7,48,650/-	₹ 74,865/-
14	**LAN:** HLUJNCHLRI000005016745 / **शाखा:** उज्जैन सर्विस **1. श्री राकेश भाटी** **2. श्रीमती सुनीता पति राकेश भाटी,** **3. श्री मोहनलाल पिता नत्थूलाल** **दोनों का पता:** मकान नंबर 1, ग्राम भदवा, रनायरापीर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456441	12-09-2025 & ₹ 7,77,000/-	प्लाट नं. 17 के समस्त भाग एवं अंश, प.ह.नं. 14, सर्वे नं. 231, ग्राम भदवा, तहसील झरड़ा, जिला उज्जैन, महिदपुर, मध्य प्रदेश - 456441	₹ 14,03,800/-	₹ 1,40,380/-
15	**LAN:** HLUJNCHLRE000005014169 / **शाखा:** उज्जैन सर्विस **1. श्री समरथ सिंह,** **2. श्रीमती भूरा बाई पति समरथ सिंह** **दोनों का पता:** मकान नंबर 08, ग्राम गुराड़िया दासा, आज़माबाद, महिदपुर, मध्य प्रदेश - 456441	14-07-2025 & ₹ 8,27,055/-	मकान/प्लाट नं. 35 के समस्त भाग एवं अंश, प.ह.नं. 66, ग्राम गुराड़ियादासा, महिदपुर, म.प्र. - 456441	₹ 10,80,000/-	₹ 1,08,000/-
16	**LAN:** HLINDRSCON000005016560 / **शाखा:** इंदौर क्लस्टर **1. श्री संजय गुर्जर,** **2. श्रीमती रामप्रसाद बाई पति अमर सिंह** **दोनों का पता:** प्लॉट नंबर 116, ग्राम पिपल्याकुमार, देवास, मध्य प्रदेश - 455115	15-05-2025 & ₹ 9,51,580/-	प्लाट नं. 116 (एस) के समस्त भाग एवं अंश, सर्वे नं. 236 (बी), प.ह.नं. 35, ग्राम पिपल्याकुमार, देवास, म.प्र. - 455118	₹ 12,72,200/-	₹ 1,27,220/-
17	**LAN:** HLUJNCSCRE000005011297 / **शाखा:** उज्जैन सर्विस **1. श्री शंकरलाल पिता बालाराम जी** **2. श्रीमती बाली बाई पति शंकर लाल** **दोनों का पता:** ग्राम नाहरखेड़ा माकला, महिदपुर, मध्य प्रदेश - 456441	11-06-2025 & ₹ 5,60,961/-	मकान नं. 21 के समस्त भाग एवं अंश, प.ह.नं. 34, ग्राम नाहरखेड़ा, ग्राम पंचायत रब्दनिया, तहसील महिदपुर, जिला महिदपुर, म.प्र. - 456441	₹ 7,40,250/-	₹ 74,025/-
18	**LAN:** LASONKLPRS000005015787 / **शाखा:** सोनकच्छ **1. श्री सोनू सिंह, 2. श्रीमती सोना पति सोनू सिंह** **दोनों का पता:** मकान नंबर 76, ग्राम मेरखेड़ी, पोस्ट लसुड़िया कुल्मी, देवास, म.प्र. - 455116	15-04-2025 & ₹ 14,56,329/-	खसरा नं. 58/2 के समस्त भाग एवं अंश, प.ह.नं. 06 (सरल नं. 2141), ग्राम मेरखेड़ी, तहसील टोंकखुर्द, देवास, म.प्र. - 455116	₹ 30,14,450/-	₹ 3,01,445/-
19	**LAN:** HLINDRSCRE000005017644 / **शाखा:** इंदौर क्लस्टर **1. श्री उदय सिंह यादव, 2. श्रीमती सीमा यादव** **दोनों का पता:** 25, वार्ड नंबर 10, सामगी टोंक खुर्द, देवास, मध्य प्रदेश - 455116	14-10-2025 & ₹ 15,67,129/-	मकान नं. 25 के समस्त भाग एवं अंश, प.ह.नं. 20, ग्राम सामगी, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्य प्रदेश - 455116	₹ 20,40,000/-	₹ 2,04,000/-
20	**LAN:** HLINDRSCON000005016089 / **शाखा:** इंदौर क्लस्टर **1. श्री उत्तम गुर्जर, 2. श्रीमती मंजू बाई पति उत्तम गुर्जर** **3. श्री नागाजीराम, पिता शंकरलाल** **दोनों का पता:** मकान नंबर 63, पिपल्या कुमार, तहसील टोंकखुर्द, देवास, मध्य प्रदेश - 455115	15-05-2025 & ₹ 9,37,917/-	सर्वे नं. 113 पर स्थित संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, ग्राम पिपल्याकुमार, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्य प्रदेश - 455118	₹ 11,96,000/-	₹ 1,19,600/-

(1) **निरिक्षण की तिथी एवं समय : 18/04/2026 दोप. 12.00 से सांय 5.00 बजे तक।**

(2) उपरोक्त वर्णित शाखा कार्यालय के पते पर निर्धारित निविदा प्रारुप में ईएमडी एवं केवायसी सहित सीलबंद प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि **25/04/2026** सायं 5.00 बजे रहेगी। निविदाएं जो पूर्णतः विधिवत रुप से भरी नहीं जावेंगी अथवा निविदाएं जो अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होंगी, को वैध निविदा के रुप में स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं तदनुसार निरस्त कर दी जावेंगी। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(3) **उपरोक्त वर्णित शाखा कार्यालय के पते पर प्रस्ताव खोलने कि तिथि (निलामी दिनांक) एवं 27/04/2026** को समय **प्रातः 11.00 से दोप. 2.00 बजे** है, निविदा को प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में खोला जावेगा।

(4) ऋणी एवं जमानतदार को एतदनुसार विक्रय के समय व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाता है एवं वे, विक्रय के नियम एवं शर्तों के अनुसार, उपरोक्तानुसार वर्णित अचल सम्पत्ति को क्रय करने के लिए प्रस्तावित क्रेतागण को साथ ला सकेंगे।

(5) यह **30 दिनों का विक्रय नोटिस सरफेसी एक्ट 2002** के तहत आम तौर पर जनता विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं), सह उधारकर्ता (ओं), जमानतदार(ओं) को दिया जाता है कि ऊपर वर्णित अचल संपत्ति को सुरक्षित लेनदारों के पास बंधक/ प्रभारित किया गया है। रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड सुरक्षित लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** ले लिया है, जिसे जहां है जैसी है तथा जिस अवस्था में है और रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड की बकाया राशि के आधार पर बेचा जाएगा, बिक्री की तारीख से पहले पूर्ण रूप से, नीलामी विज्ञापन रोके जाने के लिए उत्तरदायी है।

(6) अचल सम्पत्ति को सबसे ऊंची निविदा (बोली) लगाने वाले को विक्रय किया जावेगा। हालांकि अधोहस्तारकर्ता को अन्तर बोली (निविदा), यदि आवश्यक हो तो, को स्वीकार करने का एकमेव विवेकाधिकार रहेगा। दी गई संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम राशि पर नहीं होगा।

(7) (आरएचएफपीएल) उपरोक्त दर्शायी गई संपत्ति के उपर किसी भी प्रकार के देनदारियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संपत्ति की नीलामी ''जहां है जैसी है, जो है तथा जिस अवस्था में है''के आधार पर की जावेगी।

(8) डिमांड डाफ्ट **रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड के पक्ष में** बनाए जाएंगे।

(9) नीलामी विक्रय की विस्तृत नियम एवं शर्ते निर्धारित निविदा प्रारुप में समाविष्ट की गई हैं। निविदा प्रारुप उपरोक्त शाखा कार्यालय पर उपलब्ध हैं। प्राधिकृत अधिकारी के पास निविदा की तिथि बढ़ाने एवं प्रस्ताव के नियम व शर्तो में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। बोली के नियम एवं शर्ते व अन्य जानकारी हेतु हमारी शाखा पर संपर्क करें ।

अधिक जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी से उपरोक्त पते पर संपर्क करें।

स्थान : मध्यप्रदेश
दिनांक : 26.03.2026

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्रायवेट लिमिटेड